भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय :
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045, भारत
Bharat Electronics Limited
(Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
Registered Office : Outer Ring Road,
Nagavara, Bangalore - 560 045, INDIA.
CIN : L32309KA1954GOI000787
टेलीफैक्स/Telefax : +91 (80) 25039266
ई-मेल/E-mail : secretary@bel.co.in
वेब/Web : www.bel-india.com

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1,G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

No. 17565/6/SE/NSEC/SEC
23rd August, 2018

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of 64th Annual General Meeting.

Please find attached herewith Notice of 64th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 25th September, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Bharat Electronics Ltd.

S. Sreenivas
Company Secretary

Encls: As stated above.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / N O T I C E

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की **64वीं** वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 25 सितंबर 2018 को अपराह्न 03.30 बजे दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु- 560 001 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी –

सामान्य कारोबार-

1. (क) 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और उसमें निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।

(ख) 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।

2. फरवरी, 2018 में पहले ही अदा किए गए ₹ 1.60 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने तथा ₹ 0.40 का प्रति इक्विटी शेयर (₹ 1/- का अंकित मूल्य) पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु।

3. **श्रीमती आनंदी रामलिंगम** (डीआईएन-07616518), जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।

विशेष कारोबार

4. श्री मुक्का हरीश बाबु की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों जिन्हें अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, **श्री मुक्का हरीश बाबु** (डीआईएन-07937907) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/3/2015-डी(बीईएल) दिनांक 11 सितंबर 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the **64th** Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Tuesday, 25 September 2018, at 03:30 p.m. at The Kalinga Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru – 560 001 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. (a) To consider and adopt the Audited financial statement of the Company for the financial year ended 31 March 2018 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.

(b) To consider and adopt the Audited consolidated financial statement of the Company for the financial year ended 31 March 2018 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the Interim Dividend of ₹ 1.60 per equity share already paid in February, 2018 and to declare Final Dividend of ₹ 0.40 per Equity Share (Face value of ₹ 1/-).

3. To appoint a Director in place of **Mrs Anandi Ramalingam** (DIN: 07616518), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4. Appointment of Mr Mukka Harish Babu as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Mr Mukka Harish Babu** (DIN: 07937907), who was appointed as Part-time Non-official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/3/2015-D(BEL) dated 11 September 2017 and subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 11 September 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms

लिए दिनांक 11 सितंबर 2017 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से श्री मुक्का हरीश बाबु (डीआईएन – 07937907) को कंपनी के निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

5. श्री सुरेंद्रा एस सिरोही की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों जिन्हें अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, **श्री सुरेन्द्र एस सिरोही** (डीआईएन –07595264) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/3/2015–डी(बीईएल) दिनांक 11 सितंबर 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2017 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से श्री सुरेन्द्र एस सिरोही (डीआईएन –07595264) को कंपनी के निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

6. डॉ. विजय एस मदान की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों जिन्हें अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, **डॉ विजय एस मदान** (डीआईएन – 00806142) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/3/2015–डी(बीईएल) दिनांक 11 सितंबर 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2017 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से डॉ विजय एस मदान (डीआईएन – 00806142) को कंपनी के

of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Mukka Harish Babu (DIN: 07937907) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

5. Appointment of Mr Surendra S Sirohi as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Mr Surendra S Sirohi** (DIN: 07595264), who was appointed as Part-time Non-official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/3/2015-D(BEL) dated 11 September 2017 and subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 11 September 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Surendra S Sirohi (DIN: 07595264) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

6. Appointment of Dr Vijay S Madan as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Dr Vijay S Madan** (DIN: 00806142), who was appointed as Part-time Non-official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/3/2015-D(BEL) dated 11 September 2017 and subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 11 September 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 (1) of the Companies Act,

निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

7. श्री कोशी एलेक्ज़ाडर की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तारतम्य में, **श्री कोशी एलेक्ज़ांडर** (डीआईएन – 07896084) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/2/2016–डी(बीईएल) दिनांक 25 सितंबर 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें अपर निदेशक नियुक्त किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 25 सितंबर 2017 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा निदेशक (वित्त) पदनामित किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से श्री कोशी एलेक्ज़ांडर (डीआईएन – 07896084) को कंपनी के निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ–साथ लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

8. डॉ. अमित सहाय की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों जिन्हें अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, **डॉ अमित सहाय** (डीआईएन – 021888330) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19(1)/2010–डी(बीईएल) दिनांक 30 अक्तूबर 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 30 अक्तूबर 2017 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से डॉ. अमित सहाय (डीआईएन – 021888330) को कंपनी के

2013, signifying his intention to propose Dr Vijay S Madan (DIN: 00806142) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

7. Appointment of Mr Koshy Alexander as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Mr Koshy Alexander** (DIN: 07896084), who was appointed as Director (Finance) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/2/2016-D(BEL) dated 25 September 2017 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Finance) by the Board of Directors with effect from 25 September 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013 signifying her intention to propose Mr Koshy Alexander (DIN: 07896084) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

8. Appointment of Dr Amit Sahai as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Dr Amit Sahai** (DIN: 02188330), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19(1)/2010/D(BEL) dated 30 October 2017 and subsequently appointed as an Additional Director with effect from 30 October 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of

निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

9. सुश्री जे मंजुला की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों जिन्हें अनुसूची खत तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, **सुश्री जे मंजुला** (डीआईएन - 07684528) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19(1)/2010-डी(बीईएल) दिनांक 7 फरवरी 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 23 अप्रैल 2018 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से सुश्री जे मंजुला (डीआईएन - 07684528) को कंपनी के निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ-साथ लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

10. श्री महेश वी की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

''**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तारतम्य में, **श्री महेश वी** (डीआईएन - 08130292) जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2017-डी(बीईएल) दिनांक 9 मई 2018 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (अनु.व वि.) नियुक्त किया गया जिसके बाद जिन्हें अपर निदेशक नियुक्त किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के निबंधनों अनुसार इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 1 जून 2018 से लागू करते हुए निदेशक मंडल द्वारा निदेशक (अनु.व वि.) पदनामित किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से श्री महेश वी (डीआईएन - 08130292) को कंपनी के निदेशक के पद में उनका प्रस्ताव करते हुए अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की

the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Dr Amit Sahai (DIN: 02188330) as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

9. Appointment of Ms J Manjula as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Ms J Manjula** (DIN: 07684528), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19(1)/2010/D(BEL) dated 07 February 2018 and subsequently appointed as an Additional Director with effect from 23 April 2018 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Ms J Manjula (DIN: 07684528) as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

10. Appointment of Mr Mahesh V as Director

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, **Mr Mahesh V** (DIN: 08130292), who was appointed as Director (Research & Development) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/2/2017-D(BEL) dated 9 May 2018 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Research & Development) by the Board of Directors with effect from 01 June 2018 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of

धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ–साथ लिखित सूचना प्राप्त की है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।'

11. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त **मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स**, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 350,000/- (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) के पारिश्रमिक तथा लागू सेवा कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।"

12. संस्था के बहिर्नियम में पूँजी खंड में परिवर्तन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना **विशिष्ट संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो तो, तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुन:प्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में, कंपनी के बहिर्नियम के खंड III के उद्देश्य सं.13 परिवर्तन किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसे निम्नलिखित से स्थानापित किया जाए :

13. रक्षा नवोन्मेष संगठन, स्टार्ट अप, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों के लिए अनुप्रयोगीय कर्मशालाएँ स्थापित करना; सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान, अनुप्रयोग एवं परीक्षण करना और जारी रखना, प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों एवं सम्मेलनों को आर्थिक सहायता, मदद या सहयोग प्रदान करते हुए तथा वैज्ञानिक या तकनीकी प्रोफेसरों या शिक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करते हुए या इसके लिए योगदान देते हुए तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार, अनुदान देते हुए या अन्यथा तथा सामान्य रूप से ऐसे किसी भी प्रकार के अध्ययन, अनुसंधान, अन्वेषण, अनुप्रयोग, परीक्षण तथा खोज

the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Mahesh V (DIN: 08130292), as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

11. Ratification of remuneration of the Cost Auditor

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules there under, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000/- (Rupees three lacs fifty thousand only) plus applicable taxes and reimbursement of out of pocket expenses to **M/s GNV & Associates**, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2019."

12. Alteration of the object clause of the Memorandum of Association of the Company

To consider, and if thought fit, to pass with or without modification (s) the following resolution as a **Special Resolution :**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, and rules made there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force), the object no. 13 in Clause III of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered and substituted by the following object :

13. To establish, provide, maintain and conduct or otherwise subsidise fund, give grant(s) to Defence Innovation Organisation(s), startups, research laboratories and experimental workshops for scientific and technical research and experiments; to undertake and carry on scientific and technical researches, experiments, and tests of all kinds, to promote studies and researches both scientific and technical, investigations and inventions by providing, subsidising, endowing or assisting laboratories, workshops, libraries, lectures, meetings and conferences and by providing or contributing to the remuneration

को प्रोत्साहित करना, संवर्धित करना और प्रतिफल प्रदान करना जिनसे ऐसे किसी कारोबार को मदद मिलती है जो कारोबार कंपनी करने के लिए प्राधिकृत है।"

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा बातें जिसमें यथोचित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक फार्म / दस्तावेज भरना शामिल है, करने के लिए तथा ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र तथा लिखित सामग्री जिन्हें जिसके एकमात्र तथा अनन्य विवेक से आवश्यक या अत्यावश्यक समझा जाए, निष्पादित करने के लिए तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निराकरण करने के लिए तथा यहाँ प्रदत्त अपनी सभी या किसी एक शक्ति को अपने निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।?

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु — **एस श्रीनिवास**
16 अगस्त 2018 — **कंपनी सचिव**

नोट

1. **वार्षिक सामान्य बैठक में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।**

   कंपनी अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार, एक परोक्षी अधिकतम 50 सदस्यों के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा उनके पास कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक धारित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक धारित करते हैं, उन्हें एक परोक्षी के रूप में मतदान का अधिकार होगा, बशर्ते वे किसी अन्य व्यक्ति या शेयर धारक के परोक्षी का कार्य नहीं कर सकते।

   परोक्षी को नियुक्त करने का विलेख विधिवत पूरा करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, (23 सितंबर 2018, अपराह्न 03:30 बजे) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वार्षिक सामान्य बैठक से संबद्ध परोक्षी प्रारूप संलग्न है।

2. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से

of scientific or technical professors or teachers and by providing or contributing to the award of scholarships, prizes, grants to students or otherwise and generally to encourage, promote and reward studies, researches, investigations, experiments, tests and inventions of any kind that may be considered likely to assist any business which the Company is authorised to carry on."

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/ documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company."

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru — **S Sreenivas**
16 August 2018 — **Company Secretary**

NOTE

1. **A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the meeting instead of himself/herself, and the proxy need not be a member of the Company.**

   As per the provisions of the Companies Act, 2013, a person can act as a proxy on behalf of a maximum of 50 members and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy, provided that the person does not act as proxy for any other person or shareholder.

   The instrument appointing the proxy, duly completed, must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting (on or before 23 September 2018, 3:30 p.m. IST). A proxy form for the AGM is enclosed.

2. Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the meeting are requested

भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें या ई-मतदान पोर्टल में अपलोड करें ।

3. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 (1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है।

4. जो सदस्य शेयरों / शेयर अंतरण के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं / पत्राचार करना चाहते हैं या जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं, से अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट, मे. इन्टीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003, टेली. 080-23460815-18, फैक्स 080-23460819 को अपने पते में परिवर्तन की सूचना लिखित रूप में तुरंत भेजें। जो सदस्य अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी से संपर्क करें जिनके पास उन्होंने अपना डीमैट खाता खोला है और अपने पते के परिवर्तन को दर्ज करा लें।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 और 136 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ई-मेल का पता दिया है ।

बहरहाल, यदि कोई सदस्य वार्षिक प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो वे ई-मेल या डाक द्वारा अपना अनुरोध कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को या ऊपर बिंदु सं. 4 में दिए गए पते पर कंपनी के पंजीयक को भेज सकते हैं।

6. कंपनी इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट यानी www.bel-india.in पर भी उपलब्ध कराएगी ।

7. अधिनियम की धारा 170 के अधीन अनुरक्षित निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर तथा इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रात: 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगी।

8. इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 22 अगस्त 2018 से 24 अगस्त 2018 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा ।

9. वर्ष 2017-18 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, तो घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम

to send a certified copy of the Board resolution to the Company or upload it on the e-voting portal, authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the meeting.

3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.

4. Members having any query/correspondence related to shares/shares transfer or holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

5. In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act 2013 and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by e-mail to those shareholders who have furnished their e-mail address in their demat accounts.

However, if any member wants a physical copy of the Annual Report he/she may send a written request through e-mail or post, to the Company Secretary at the Registered Office of the company or to Company's Registrars at the address given at point 4 above .

6. The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.in.

7. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Act and all the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 A.M. and 4.00 P.M. on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.

8. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 22 August 2018 to 24 August 2018 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.

9. The Final Dividend for the year 2017-18, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of

यथा 21 अगस्त 2018, को कंपनी के सदस्यों की पंजी में उल्लिखित होते हैं ।

10. जहाँ कहीं संभव हो, कंपनी ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 21 अगस्त 2018 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरों के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा। कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है । जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 अगस्त 2018 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपना बैंक खाते के ब्यौरे (नौ डिजिट के बैंक कोड सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

11. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकारी (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 की धारा 124 जिसे उसके संबंधित परिपत्रों एवं संशोधनों ('आई.ई.पी.एफ. नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, नियत तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अंतिम लाभांश 2009-10 और अंतरिम लाभांश 2010-11 से संबंधित अदत्त और दावा न की गई राशि क्रमशः ₹ 1,16,437 और ₹ 58,722 अंतरित कर दिया है।

वर्ष 2010-11 (अंतिम) का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2011-12 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2018-19 में निधि को अंतरित किया जाना है। इस आशय की सूचनाएँ संबंधित शेयरधारकों को भेज दी गई है ताकि वे दावा कर सकें और राशि प्राप्त कर सकें। कंपनी 2008-09 से लाभांश भुगतान के विवरण और अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना "निवेशकों के लिए सूचना" नामक शीर्षक के तहत एक अलग पेज में अपनी वेबसाइट www.bel-india.in पर दिया है।

अदावी लाभांश के दावा करने के लिए इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से अथवा अंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव से संपर्क करें । सदस्यों से निवेदन है कि यह

declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 21 August 2018.

10. Company will be using the facility for credit of dividend to the members by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and in other cases by dividend warrant / Bank demand drafts. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 21 August 2018, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/ correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 31 August 2018.

11. Pursuant to the provisions of Section 124 of the Act, Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto ('IEPF Rules'), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the due date is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), constituted by the Central Government. The Company had, accordingly, transferred ₹ 1,16,437 and ₹ 58,722 being the unpaid and unclaimed dividend amount pertaining to Final Dividend 2009-10 and Interim Dividend 2010-11 respectively, to the IEPF.

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2010-11 (Final) and interim dividend for the year 2011-12 are due for transfer to the Fund in 2018-19. Notices to this effect have been sent to the respective shareholders to enable them to claim and receive the amount. The Company has posted on its website www.bel-india.in in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2008-09 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend.

Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's

ध्यान में रखें कि कंपनी के अदेय लाभांश खाता में अंतरित तिथि से सात साल के भीतर अदावी लाभांश अधिनियम की धारा 124 के अधीन आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा ।

कंपनी अधिनियम की धारा 124 के तहत आवश्यकतानुसार, इक्विटी शेयर, सदस्यों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया लाभंश के संबंध में, को वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा । स्थानांतरित किए गए शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

12. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।

13. सदस्यों/ परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ ।

14. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

15. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे ।

16. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने/गलत स्थान पर रखे जाने/चोरी/जालसाजी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल व सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेन्ट, मेसर्स इंटीग्रेटेड रिजीस्टरी मैनेजमेन्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करने का आदेश दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए रखते हैं, को पैन जमा करने का अनुरोध किया जाता है । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी के आरटीए को अपने पैन विवरण जमा कर सकते हैं ।

17. अधिनियम की धारा 108 व उससे संबंधित नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियमन, 2015 के

registered office. Members are requested to note that dividends that are not claimed within seven years from the date of transfer to the Company's Unpaid Dividend Account, will, as per Section 124 of the Act, be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

As required under Section 124 of the Companies Act, 2013, equity shares, in respect of which dividend has not been claimed by the members for seven consecutive years or more, have been transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) during the financial year. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company.

12. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.

13. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting.

14. Members/Proxies/Authorised Representatives attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

15. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

16. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery/transfer of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. In this connection, Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, at the address given at point 4 above.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN details to the Company's RTA, at the address given at point 4 above.

17. In compliance with Section 108 of the Act, read with corresponding rules, and Regulation 44 of the SEBI (Listing

विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी ने अपने सदस्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निवेश लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान) सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है । मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी वार्षिक सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे । ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे । ई-मतदान के अनुदेश इस नोटिस के संलग्नक में दिए गए हैं । मंडल ने ई-मतदान / मतपत्र की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल जी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है ।

सुदूर ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 द्वारा स्थानापित किया गया है, और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को, अपराह्न 03.30 बजे आयोजित होने वाली 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक आहूत करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है । कंपनी ने सुदूर ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं ।

सुदूर ई-मतदान सुविधा https://www.evoting.nsdl.com लिंक में उपलब्ध है ।

<u>कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें ।</u>

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 25 सितंबर, 2018 को होने वाली 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग बनते हैं ।

सुदूर ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी –

सुदूर ई-मतदान का प्रारंभ	सुदूर ई-मतदान की समाप्ति
20 सितंबर 2018 को सुबह 9:00 बजे, आईएसटी	24 सितंबर 2018 को अपराह्न 5:00 बजे, आईएसटी

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting (e-voting) service facilitated by the National Securities Depository Limited (NSDL). The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and members attending the AGM, and not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice. The Board has appointed Mr Thirupal Gorige, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting / ballot process in a fair and transparent manner.

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI (LODR) regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 64th Annual General Meeting to be held on the Tuesday, 25 September 2018 at 03:30 p.m. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link https://www.evoting.nsdl.com.

<u>Please read the instructions printed below before exercising your vote.</u>

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 64th Annual General Meeting scheduled to be held on 25 September 2018.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period :

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
20 September 2018 at 9:00 A.M. IST	24 September 2018 at 5:00 P.M. IST

सुदूर ई–मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं –

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुऐ इलेक्ट्रॉनिक मतदान

एनएसडीएल ई–मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की तरीके में "दो चरण" शामिल है, जो निम्नलिखित हैं–

चरण 1– https://www.evoting.nsdl.com/ **में एनएसडीएल ई–मतदान प्रणाली में लॉग-इन करें।**

चरण 2– एनएसडीएल ई–मतदान प्रणाली अपना इलेक्ट्रॉनिक वोट दे ।

चरण 1–

ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग-इन करें

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें– <https://www.evoting.nsdl.com/ ।
2. एक बार ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, "लॉग–इन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक' सेक्शन के तहत उपलब्ध है ।
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड और एक वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सेवा के लिए रेजिस्टर किया हैं यानी आईडीईएएस, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉग–इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं । जब एक बार आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉग–इन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद लॉग–इन होते हैं, इसके बाद ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।
4. आपके यूज़र आईडी विवरण नीचे दिए गए हैं–
   शेयर धारण के मैनर यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक आपका यूज़र आईडी–

   क) उन सदस्यों के लिए, जो एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं। 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपका यूज़र आईडी IN300***12****** है ।

   ख) उन सदस्यों के लिए, जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं। 16 डिजिट बेनफिशरी आईडी
   उदाहरण के लिए, यदि आपके बेनफिशरी आईडी 12************** है तो आपका यूज़र आईडी 12************** है ।

   ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ईवीईएन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलीओ नंबर

   उदाहरण के लिए यदि फोलीओ नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूज़र आईडी 101456001*** है ।

The instructions for remote e-voting are as under :

Voting electronically using NSDL e-Voting system

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below :

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

STEP 1 :

Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL e-services i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :
   Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical Your User ID is:

   a) For Members who hold shares in demat account with NSDL - 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID

   For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12 ******.

   b) For Members who hold shares in demat account with CDSL - 16 Digit Beneficiary ID

   For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************.

   c) For Members holding shares in Physical Form - EVEN Number followed by Folio Number registered with the company

   For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है–

क) यदि आप सुदूर ई–मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉग–इन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'इनिशल पासवर्ड' रिट्रीव करना होगा, जो आपको सूचित किया गया था। एक बार आप अपना 'इनिशल पासवर्ड' रिट्रीव करने के बाद, आपको 'इनिशल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए सूचना देंगे ।

ग) अपना 'इनिशल पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें? ?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ रेजिस्टर है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'इनिशल पासवर्ड' आपको सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का ट्रेस करें । ई–मेल खोलें और संलग्नक खोलें, यानी एक .pdf फाइल, .pdf फाइल खोलें । .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 डिजिट या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलीओ नंबर है । .pdf फ़ाइल में आपका 'यूज़र आईडी' और आपका 'इनिशल पासवर्ड' होता है ।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी रेजिस्टर नहीं है, तो आपका 'इनिशल पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको सूचित किया जाता है।

6. यदि आप इनिशल पासवर्ड रिट्रीव करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं–

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध '**Forgot User Details/Password**' (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर धारण कर रहे हैं)विकल्प पर क्लिक करें।

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **Physical User Reset Password**? (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं ।)

ग) यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलीओ नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड डालने के बाद, चेक बॉक्स पर "नियम और शर्तें" टिक लगाएं।

8. अब, आपको "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

5. Your password details are given below :

a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the 'initial password' or have forgotten your password :

a) Click on "**Forgot User Details/Password**?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN,your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2 :

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें?

1. चरण 1 पर लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे । उसके बाद, एक्टीव वोंटिंग साइकिल पर क्लिक करें ।
2. एक्टीव वोंटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिसका वोंटिंग साइकिल एक्टीव स्थिति में है।
3. कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।
4. मताधिकार का प्रयोग करें – पेज खुलते ही अब आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं ।
5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें यानी असेंट या डिसेंट, उन शेयरों की संख्या को वेरिफाइ / मॉडिफाइ करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "कंफोर्म" पर क्लिक करें।
6. कन्फर्म करने के बाद, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा ।
7. आप कंफर्मेशन पेज के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार आप संकल्प पर अपने वोट करने के बाद, आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ संबंधित मंडल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति स्क्रूटिनाइज़र को (pdf/jpg फार्मेट) gthirupal@gmail.com को तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को ई-मेल द्वारा भेजनी है ।
2. किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करने और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की सख्त सुझाव देती है। ई-वोटिंग वेबसाइट पर सही पासवर्ड डालने में पांच असफल प्रयासों पर लॉग-इन असमर्थ हो जएगा । ऐसी स्थिति में, आपको पासवार्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प से जाना होगा ।
3. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध सदस्यों के सुदूर ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल

Step 2 :

Casting your vote electronically on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

का संदर्भ लें या टोल फ्री नं.– 1800–222–990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजे ।

4. आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है ।

5. सुदूर ई–मतदान की अवधि 20 सितंबर, 2018 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और 24 सितंबर, 2018 (अपराह्न 5 बजे) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 18 सितंबर 2018 की निर्दिष्ट तारीख को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं । उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा सुदूर ई–मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा । सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।

6. सदस्यों के मतदान अधिकार 18 सितंबर, 2018 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की चुकता साम्या शेयर पूँजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे ।

7. कोई व्यक्ति जो नोटिस को भेजने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं और सदस्य बनते हैं और निर्दिष्ट तारीख यानी 18 सितंबर 2018 को शेयर धारित करते हैं, evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजते हुए या एनएसडीएल के श्री प्रतीक भट्ट को टॉल फ्री नंबर 1800222990 पर संपर्क करते हुए लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

8. कंपनी ने ई–मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है ।

9. वार्षिक सामान्य बैठक में, संकल्प जिन पर मतदान किया जाना है, के बारे में चर्चा की समाप्ति पर, अध्यक्ष, स्क्रूटिनाइज़र की सहायता से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो उपस्थित हैं लेकिन जिन्होंने सुदूर ई–मतदान सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान का आदेश देंगे ।

10. स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, वार्षिक सामान्य बैठक में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत कम से कम दो गवाह, जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में सुदूर ई–मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे । स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्त के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे ।

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

5. The remote e-voting period commences on 20 September 2018 (9:00 A.M.) and ends on 24 September 2018 (5:00 P.M.). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Cutoff date of 18 September 2018, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cutoff date of 18 September 2018.

7. Any person who acquires shares of the company and becomes a member after dispatch of the notice and holding shares as on the Cutoff date i.e. 18 September 2018, may obtain the login ID and passwaord by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr Pratik Bhatt of NSDL at toll free no. 1800222990.

8. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

9. At the AGM, at the end of the discussion on the resolutions on which voting is to be held, the Chairman shall, with the assistance of the Scrutinizer, order voting through ballot paper for all those Members who are present but have not cast their votes electronically using the remote e-voting facility.

10. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, count the votes cast at the AGM and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor of or against, if any, not later than three days after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

11. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ–साथ इन नतीजों को कंपनी के वेबसाइट, www.bel-india.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

सूचना का अनुलग्नक

मद सं. 3 के संबंध में –

श्रीमती आनंदी रामलिंगम (डीआईएन –007616518), पूर्णकालिक निदेशक यानी निदेशक (विपणन) –

श्रीमती आनंदी रामलिंगम ने पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर से इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. करने के पश्चात् मार्च 1985 में बी.ई.एल. बेंगलूरू में कार्य ग्रहण किया। अगले 20 वर्षों में उन्होंने भारतीय सेना के लिए बी.ई.एल. और डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित फ्लैगशिप आर्टिलरी कंबैट कमांड और नियंत्रण प्रणाली 'शक्ति' तथा रक्षा मंत्री पुरस्कार जीतने वाले ए.आर.ई.एन. (आर्मी रेडियो इंजीनयर्ड नेटवर्क) समेत सैन्य संचार के विभिन्न क्षेत्रों के उपस्कर परीक्षण कार्यों में विभिन्न प्रकार का अनुभव हासिल किया। कार्यपालक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ होने के पहले वर्ष के ही दौरान आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

वर्ष 2004 में आपको बेंगलूरू कॉम्पलेक्स स्थित सैन्य संचार एवं इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति एसबीयू में विपणन प्रभाग स्थापित करने हेतु गठित टीम में शामिल किया गया। बीईएल में पूर्व गतिशील कारोबार विकास कार्यक्रमों में टीम ने अग्रणी भूमिका निभाई और क्रमश: अन्य एसबीयू में प्रभावी विपणन प्रणाली स्थापित करने में सहायक रही । वर्ष 2007 में आपको सैन्य संचार एसबीयू में विपणन प्रमुख के तौर पर पदोन्नत किया गया जहाँ आदेश बही और विक्रयावर्त में टीम ने रिकार्ड बढ़ोत्तरी हासिल की ।

वर्ष 2010 में **श्रीमती आनंदी रामलिंगम** बीईएल को बहु विदेशी ओ.ई.एम. हेतु एक आत्मनिर्भर विश्वस्तरीय आपूर्तिकर्ता पार्टनर के रूप में स्थापित करने और बी.ई.एल. की निर्यात आदेश बही की स्थिति में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने हेतु अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रभाग (आई. एम.डी.) में रक्षा समंजन की प्रमुख के रूप में भेजा गया ।

दिसंबर, 2014 में आप महाप्रबंधक के रुप में राष्ट्रीय विपणन प्रभाग में आई । बहुत ही कम समय में आपके नेतृत्व में बी.ई.एल. के आदेश बही की स्थिति में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई । आपने मई 2016 में बी.ई.एल. बेंगलूरू में महाप्रबंधक (मिलकॉम) का पदभार संभाला और निदेशक के रूप में पदोन्नत होने तक कारोबार को आगे बढ़ाया।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें श्रीमती आनंदी रामलिंगम निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

11. The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

ANNEXURE TO THE NOTICE

In respect of item No.3 :

Mrs Anandi Ramalingam (DIN: 007616518), Whole Time Director i.e. Director (Marketing) :

Mrs Anandi Ramalingam joined BEL-Bangalore in March 1985 after completing her BE in Electronics and Communication Engineering from the PSG College of Technology, Coimbatore. For the next 20 years, she gained diverse experience in equipment testing working across various domains of military communication including heading testing for 'Shakti', the flagship Artillery Combat Command and Control System, developed by BEL and DRDO for the Indian Army and AREN (Army Radio Engineered Network) winning the Raksha Mantri's Award. During this period, she was also awarded the Executive Excellence Award, in the very first year of its inception.

In 2004, she was roped in as part of the team formed to set up the Marketing Division for the Military Communication & Electronic Warfare SBU at Bangalore Complex. The team pioneered proactive business development practices in BEL and gradually assisted other SBUs in establishing effective marketing systems. In 2007, she was elevated as the Marketing Head of the Military Communication SBU where her team could achieve record growth in order book and turnover.

In 2010, **Mrs Anandi Ramalingam** moved to the International Marketing Division (IMD) to head Defence Offsets, establishing BEL as a reliance global supply chain partner for multiple foreign OEMs and facilitating substantial growth of BEL's export order book.

In December 2014, she moved to the National Marketing Division as GM. Within a short span of time, she saw to it that BEL's order book grew significantly. In May 2016, she assumed charge as GM (Milcom) at BEL-Bangalore and steered the business till her elevation as Director.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mrs Anandi Ramalingam holds Directorship and Committee Membership : Nil

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – 1263 इक्विटी शेयर

2017–18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे मंडल की नौ (09) बैठकों में से आठ (08) बैठकों में शामिल हुईं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4, 5 और 6 के संबंध में –

सरकार ने सरकारी आदेश र.मं./डीडीपी के पत्र सं. 19/3/2015–डी(बीईएल) दिनांक 11 सितंबर 2017 द्वारा श्री मुक्का हरीश बाबू, श्री सुरेन्द्र एस सिरोही तथा डॉ. विजय एस मदान को अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया जिन्हें तदुपरांत इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2017 से प्रभावी करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में अपर निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री मुक्का हरीश बाबू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली के फ़ेलो सदस्य हैं और 1986 से सनदी लेखाकार के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आप एम. हरीश एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार हैं जिसके कार्यालय तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, जगतियाल में स्थित हैं। आपको कराधान, कंपनी विधि मामलों, बैंकों, सरकारी और निजी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, पीएसयू, सहकारी सोसाइटियों, एनबीएफसी की लेखा परीक्षा, कर लेखा परीक्षा, साझेदारी फर्मों में विवाद निपटाने हेतु माध्यस्थम आदि के क्षेत्रों का पेशेवर अनुभव है।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें श्री मुक्का हरीश बाबू निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करते हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक : कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता : कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – कोई नहीं

2017–18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित मंडल की तीन (03) बैठकों में से तीन (03) बैठकों में शामिल हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक का पद धारित करने के लिए श्री मुक्का हरीश बाबू की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत तथा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम 2015 के विनियम 16 के तहत वर्णित

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : 1263 Equity Shares

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During her tenure she has attended eight (08) Board meetings out of nine (09) conducted.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

In respect of item Nos. 4, 5 and 6 :

The Government vide Govt. Order MoD/DDP letter No. 19/3/2015-D(BEL) dated 11 September 2017 has appointed Mr Mukka Harish Babu, Mr Surendra S Sirohi and Dr Vijay S Madan as Part-time Non-official Directors (Independent Directors) and who were subsequently appointed as Additional Directors on the Board of Bharat Electronics Limited w.e.f 11 September 2017, to hold office up to the date of this Annual General Meeting.

Mr Mukka Harish Babu is a Fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi and practicing as Chartered Accountant since 1986. He is senior partner in M Harish & Associates, having offices at Hyderabad, Karimnagar, Adilabad, Jagtial in Telagana state. He has professional experience in the fields of Taxation, Company Law matters, Audits of Banks, Public and Private companies, Government agencies, PSUs, Co-operative societies, NBFCs, Tax audits, Arbitrator for resolving disputes in partnership firms, etc.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Mukka Harish Babu holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : Nil

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During his tenure he has attended three (03) Board meetings out of three (03) conducted during financial year 2017-2018.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Mr Mukka Harish Babu for the office of Independent Director of the Company. The Company has received a declaration from Mr Mukka Harish Babu for meeting

अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करने हेतु श्री मुक्का हरीश बाबू से घोषणा प्राप्त की है।

श्री सुरेंद्र सिंह सिरोही, आई आई टी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे पूर्व सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग तथा सूचना एवं आई.टी. मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव हैं। भारतीय दूरसंचार सेवा में अपने अनुकरणीय करियर के दौरान उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न संगठनों जैसे दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, एमटीएनएल; टेलीकॉम कनसल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल); भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनेक टेक्नो-प्रबंधकीय नेतृत्व पदों को धारित किया और अपनी दूरदर्शिता, व्यवस्थित तथा रणनीतिक दृष्टिकोण से गतिशील एवं व्यावहारिक नेतृत्व प्रदान करते हुए भारतीय दूरसंचार के रूपांतरणीय विकास के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें श्री सुरेंद्र सिंह सिरोही निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करते हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – कोई नहीं

2017-18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित मंडल की तीन (03) बैठकों में से तीन (03) बैठकों में शामिल हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक का पद धारित करने के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत तथा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम 2015 के विनियम 16 के तहत वर्णित अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करने हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही से घोषणा प्राप्त की है।

डॉ विजय एस मदान, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से एमबीबीएस स्नातक हैं। आप 35 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। आप भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के पूर्व सचिव थे। मार्च, 2014 से सितंबर, 2015 तक भारत सरकार के यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडीएआई), भारत के पूर्व महानिदेशक भी रहें। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, आपने विभिन्न विभागों में कई नेतृत्व पदों का आयोजन किया, अर्थात् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, गोवा सरकार, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, मॉन्ट्रियल कनाडा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार आदि।

the criteria of independence as prescribed under section 149 (6) of the Companies Act 2013 and under regulation 16 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

Mr Surendra S Sirohi, is an Electrical Engineering graduate from IIT Kanpur. He is a former Member (Technology), Telecom Commission and Secretary to Govt. of India in Ministry of Communication & IT. During his exchequered career in Indian Telecom Service, he held numerous Techno - managerial leadership positions in various organizations of Telecom Sector viz. Dept. of Telecom, GOI; MTNL; Telecom Consultants India Ltd (TCIL); Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and made steller contribution to transformational evolution of Indian Telecom by providing dynamic and visionary leadership with his forward looking, pragmatic and strategic approach.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Surendra S Sirohi holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : Nil

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During his tenure he has attended three (03) Board meetings out of three (03) conducted during financial year 2017-2018.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Mr Surendra S Sirohi for the office of Independent Director of the Company. The Company has received a declaration from Mr Surendra S Sirohi for meeting the criteria of independence as prescribed under section 149 (6) of the Companies Act 2013 and under regulation 16 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

Dr Vijay S Madan is an MBBS graduate from Maulana Azad Medical College, New Delhi. He is a retired IAS Officer with experience of 35 years. He was former Secretary to Government of India, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources. He was also former Director General, Unique Identification Authority of India (UIDAI), Government of India from March, 2014 to September 2015. During his long career in Indian Administrative Services, he held numerous leadership positions in various departments, namely, Dept. of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Culture, Government of India, Government of National Capital Territory of Delhi, Government of Goa, International Civil Aviation Organization, Montreal Canada, Ministry of Civil Aviation, Govt. of India etc.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें डॉ विजय एस मदान निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – कोई नहीं

2017–18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित मंडल की तीन (03) बैठकों में से दो (02) बैठकों में शामिल हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक का पद धारित करने के लिए डॉ. विजय एस मदान की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत तथा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम 2015 के विनियम 16 के तहत वर्णित अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करने हेतु डॉ. विजय एस मदान से घोषणा प्राप्त की है।

श्री मुक्का हरीश बाबू, श्री सुरेन्द्र एस सिरोही तथा डॉ. विजय एस मदान को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. क्रमश: 4,5 और 6 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 7 के संबंध में –

सरकार ने सरकारी आदेश र.मं./डीडीपी के पत्र सं. 19/2/2016–डी (बीईएल) दिनांक 25 सितंबर 2017 द्वारा श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया और तदुपरांत उन्हें इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2017 से प्रभावी करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री कोशी एलेक्ज़ांडर भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के फ़ेलो सदस्य हैं और उन्हें बीईएल की अनेक रणनीतिक कारोबारी यूनिटों तथा यूनिटों (न्यूयॉर्क स्थित समुद्रपार कार्यालय सहित) के वित्त व लेखा प्रकार्य में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक और बहुमुखी अनुभव है। वे बेंगलूरु कॉम्पलेक्स के सैन्य रेडार, नौसैनिक प्रणालियाँ, कंपोनेंट तथा केंद्रीय सेवा समूह के एसबीयू प्रमुख रहे हैं। वे गाज़ियाबाद यूनिट के भी वित्त प्रमुख रहे हैं। उन्हें 1 दिसंबर 2012 को महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) के रूप में पदोन्नत किया गया, तदुपरांत उन्होंने महाप्रबंधक (वित्त) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी का कार्यभार संभाला और 25 सितंबर, 2017 को निदेशक (वित्त)

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Dr Vijay S Madan holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships / Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : Nil

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During his tenure he has attended two (02) Board meetings out of three (03) conducted during financial year 2017-2018.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Dr Vijay S Madan for the office of Independent Director of the Company. The Company has received a declaration from Dr Vijay S Madan for meeting the criteria of independence as prescribed under section 149 (6) of the Companies Act 2013 and under regulation 16 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Mukka Harish Babu, Mr Surendra S Sirohi and Dr Vijay S Madan, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolutions set out at item nos. 4,5 & 6 respectively of the notice of this meeting.

The Board recommends the said resolution(s) for the approval of the members.

In respect of item No.7 :

The Government vide Govt. Order MoD/DDP letter No. 19/2/2016-D(BEL) dated 25 September 2017, appointed Mr Koshy Alexander as Director (Finance) and who was subsequently appointed as Additional Director on the Board of Bharat Electronics Limited w.e.f. 25 September 2017, to hold office up to the date of this Annual General Meeting.

Mr Koshy Alexander, is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, having vast and versatile experience of more than 30 years in Finance & Accounts function spread across many Strategic Business Units and Units of BEL (including overseas office at New York). He had been the SBU Finance Head of Military Radars, Naval Systems, Components and Central Services Group of Bangalore Complex. He was also the Finance Head of Ghaziabad Unit. He was promoted as General Manager (Internal Audit) in on 1 December 2012 and subsequently took over as General Manager (Finance)

के पद पर पदोन्नत होने तक वे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) का वित्त प्रकार्य संभालते रहे।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें श्री कोशी एलेक्ज़ांडर निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – 1265 इक्विटी शेयर

2017–18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान मंडल की तीन (03) बैठकों में से तीन (03) बैठकों में शामिल हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को स्पष्ट करते हुए ₹ 100,000/– की जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 8 के संबंध में –

सरकारनेसरकारीआदेशर.मं./डीडीपीकेपत्रसं.19(1)/2010–डी(बीईएल) दिनांक 30 अक्तूबर 2017 द्वारा डॉ अमित सहाय को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तदुपरांत उन्हें इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में अपर निदेशक नियुक्त किया ।

डॉ अमित सहाय, भारतीय वन सेवा अधिकारी (1987 – असम) ने 16 अक्तूबर 2017 को रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (पी एंड सी) के रूप में कार्यभार संभाला । डॉ. अमित सहाय ने 1984 में लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में अपना एमएससी किया । उन्हें एफआरआई डीम्ड युनिवर्सिटी – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी (1987 से 89) में उन्हें एम.एससी. से भी सम्मानित किया गया। 2008 में आपको मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा एम. फिल (वन्य) से सम्मानित किया गया। अक्तूबर 2015 से अक्तूबर 2017 यानी, प्रतिनियुक्ति पर डीडीपी से जुड़ने से पहले, डॉ. सहाय असम सरकार के

and Chief Financial Officer and was looking after the finance function at Bharat Electronics Limited, (BEL) until his elevation as Director (Finance) from 25 September 2017.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Koshy Alexander holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : 1265 Equity Shares

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During his tenure he has attended three (03) Board meetings out of three (03) conducted during financial year 2017-2018.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing along with a deposit of ₹ 100,000/- from a member signifying her intention to propose the appointment of Mr Koshy Alexander as Director of the Company.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Koshy Alexander, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 7 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

In respect of item No. 8 :

The Government vide Govt Order MoD/DDP letter No. 19(1)/2010/D(BEL) dated 30 October 2017, appointed Dr Amit Sahai as Part-time Official Director and who was subsequently appointed as Additional Director on the Board of Bharat Electronics Limited w.e.f. 30 October 2017, on terms and conditions as stipulated by the Government of India, to hold office up to the date of this Annual General Meeting.

Dr Amit Sahai, an Indian Forest Service Officer (1987: Assam) took charge as Joint Secretary (P&C) in the Department of Defence Production on 16 October 2017. He has done his M.Sc. in Geology from Lucknow University in 1984. He has also been awarded M.Sc. (Forestry) by FRI Deemed University - Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun & Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (1987 to 89). He was awarded M.Phil by the Madras University in 2008. From Oct 2015 to Oct 2017, i.e prior to joining the DDP on deputation, Dr Amit Sahai was Addl. Principal Chief

वन (प्रशा. व सतर्कता) में अतिरिक्त प्रिंसिपल चिफ कंजरवेटर थे। जून 2012 से अक्तूबर 2015 तक उन्होंने प्रबंध निदेशक, गुवाहाटी मेट्रोपोलिटन पेयजल एवं सीवरेज बोर्ड (गुवाहाटी जल बोर्ड) और परियोजना निदेशक, जे.आई.सी.ए. की सहायता प्राप्त गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना के रूप में कार्य किया।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें डॉ अमित सहाय निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – कोई नहीं

2017–18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित मंडल की तीन (03) बैठकों में से दो (03) बैठकों में शामिल हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में डॉ. अमित सहाय की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को स्पष्ट करते हुए ₹ 100,000/– की जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

डॉ. अमित सहाय को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 9 के संबंध में –

सरकार ने सरकारी आदेश र.मं./डीडीपी के पत्र सं. 19(1)/2010–डी (बीईएल) दिनांक 07 फरवरी 2018 द्वारा सुश्री जे मंजुला को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तदुपरांत उन्हें इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से प्रभावी करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में अपर निदेशक नियुक्त किया ।

सुश्री जे मंजुला, डिज़िटल सिस्टम में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में 1987 में रक्षा अनु. व वि. संगठन में कार्यग्रहण किया और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति परियोजनाओं में 26 वर्षों तक सेवा प्रदान की। वे बेंगलूरु में रक्षा वैमानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की निदेशक थीं। आपको 2006 में डीआरडीओ का कार्य–निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2011 में साइंटिस्ट ऑफ दि ईयर का पुरस्कार, 2014 में इंडिया टुडे का वूमेन इन साइंस का पुरस्कार, 2015 में ई.डबल्यू. में एओसी का सर्वोत्तम

Conservator of Forests (Admn. & Vig.) in the Govt. of Assam. From June 2012 to Oct 2015, he has worked as Managing Director, Guwahati Metropolitan Drinking Water & Sewerage Board (Guwahati Jal Board) & Project Director, JICA assisted Guwahati Water Supply Project.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Dr Amit Sahai holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : NIL

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : During his tenure he has attended three (03) Board meetings out of three (03) conducted during financial year 2017-2018.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing along with a deposit of ₹ 100,000/- from a member signifying his intention to propose the appointment of Dr Amit Sahai as Director of the Company.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Dr Amit Sahai, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 8 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

In respect of item No. 9 :

The Government vide Govt Order MoD/DDP letter No. 19(1)/2010/D(BEL) dated 7 February 2018, appointed Ms J Manjula as Part-time Official Director and who was subsequently appointed as Additional Director on the Board of Bharat Electronics Limited w.e.f. 23 April 2018, on terms and conditions as stipulated by the Government of India, to hold office up to the date of this Annual General Meeting.

Ms J Manjula, is a post graduate in Electronics and Communication engineering with subject specialization in Digital Systems. She joined Defence R&D organization in 1987, at Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad and served there for 26 years in various Electronic Warfare Projects. She was the Director for Defence Avionics Research Laboratory at Bengaluru. She is a recipient of DRDO Performance Excellence award in 2006, Scientist of the year award in 2011, India Today's Woman in Science award in 2014, AoC's Best

योगदानकर्ता का पुरस्कार और 2015 में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन – कर्नाटक की ओर से मैरी क्यूरी महिला विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी टीम को अनेक पेटेंट आवेदन प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें सुश्री जे मंजुला निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – कोई नहीं

2017-18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – कोई नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में सुश्री जे मंजुला की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को स्पष्ट करते हुए ₹ 100,000/– की जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

सुश्री जे मंजुला को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 9 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 10 के संबंध में –

सरकार ने सरकारी आदेश र.मं./डीडीपी के पत्र सं. डीडीपी –ई0032/2/2017–डी(बीईएल) दिनांक 09 मई 2018 द्वारा श्री महेश वी को निदेशक (अनु. व वि.) के रूप में नियुक्त किया, तदुपरांत उन्हें इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर, दिनांक 01 जून, 2018 से प्रभावी करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंडल में अपर निदेशक नियुक्त किया ।

श्री महेश वी, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी में बी.ई. इस पदोन्नति से पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) में मंडल से एक स्तर नीचे का पद, कार्यकारी निदेशक (टी.पी.) धारित करते थे। उन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) में अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य रेडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी (ई.डबल्यू. एंड ए), सैन्य संचार, नेटवर्क प्रणालियों में अनुसंधान करने, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सीआरएल), बेंगलूरु में 220 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करने, संचार, नेटवर्क, बेतार प्रणालियाँ, रेडियो आवृत्ति एवं माइक्रोवेव, अंतर्निर्मित कंप्यूटिंग, रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग, सेन्स सिग्नल प्रोसेसिंग, क्रिप्टो एवं एनक्रिप्शन, सायबर सुरक्षा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एवं लेज़र के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण के विकास हेतु

Contributor in EW award in 2015, and Marie Curie Mahila Vijnana Puraskara in 2015 from Swadeshi Vijnana Andolana - Karnataka. She has many patent applications to the credit of her team.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Ms J Manjula holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships / Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : NIL

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : Nil

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing along with a deposit of ₹ 100,000/- from a member signifying her intention to propose the appointment of Ms J Manjula as Director of the Company.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Ms J Manjula, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 9 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

In respect of item No. 10 :

The Government vide Govt Order MoD/DDP letter No. DDP – E0032/2/2017-D(BEL) dated 09 May 2018, appointed Mr Mahesh V as Director (Research & Development) and who was subsequently appointed as Additional Director on the Board of Bharat Electronics Limited w.e.f 1 June 2018, on terms and conditions as stipulated by the Government of India, to hold office up to the date of this Annual General Meeting.

Mr Mahesh V, BE in Electronics Engineering, was Executive Director (TP) in Bharat Electronics Limited (BEL) one level below the Board, prior to his elevation. He has an experience of more than 32 years in Research & Development (R&D), in Bharat Electronics Limited (BEL). He has experience in wide areas of research in Space Electronics, Military Radar, Electronics Warfare & Avionics (EW&A), Military Communication, Network Systems, heading a team of more than 220 Scientists at Central Research Lab (CRL), Bengaluru, facilitating development of technologies in the areas of Communication, Networks, wireless Systems, Radio Frequency & Microwave, Embedded Computing, Radar Signal Processing, Sensor Signal Processing, Crypto & encryption, Cyber Security, Electro Optics & lasers,

बीईएल की सभी यूनिटों के साथ निरंतर कार्य करने, सीआरएल के कारोबारी योगदान को सुधारने तथा वर्तमान एवं भविष्यगामी दोनों तरह के अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय विकास सुकर बनाने का व्यापक अनुभव है जिसके कारण अनेक कारोबारी अवसर सृजित हुए।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण – कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) जिनमें श्री महेश वी निदेशक का पद तथा समिति की सदस्यता धारित करती हैं – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक – कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में सदस्यता / अध्यक्षता – कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारिता – 1263 इक्विटी शेयर

2017-18 के दौरान मंडल की बैठकों में उपस्थिति – कोई नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के रूप में श्री महेश वी की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को स्पष्ट करते हुए रु. 100,000/– की जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्री महेश वी को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 10 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 11 के संबंध में –

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) नियम 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मे. जी.एन.वी. एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 11 में उल्लिखित संकल्पों

Continuous interaction with all Units of BEL, for development technologies integration, improving the business contribution of CRL and Facilitated many critical technologies development, both current and futuristic, resulting in many business opportunities.

Disclosure of relationships between directors inter-se : Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Mahesh V holds Directorship and Committee Membership : Nil

Directorship held in other listed Companies : Nil

Memberships/Chairmanship in other listed companies : Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited : 1263 Equity Shares

Attendance in Board Meetings during 2017-18 : Nil

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing along with a deposit of ₹ 100,000/- from a member signifying his intention to propose the appointment of Mr Mahesh V as Director of the Company.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Mahesh V, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 10 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

In respect of item No. 11 :

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru to conduct cost audit of the Company for the financial year 2018-19 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially

में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं. 12 के संबंध में -

'मेक इन इंडिया' की पहल में योगदान देते हुए, कंपनी डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, स्टार्ट अप आदि को सहायता-प्राप्त निधि, अनुदान देने का प्रस्ताव करती है। संस्था के बहिर्नियमों (एम.ओ.ए.) के वर्तमान उद्देश्य में कंपनी को ऐसी पहल करने की अनुमति नहीं है।

उक्त उद्देश्य को शुरु करने के लिए, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों के खंड III के उद्देश्य सं. 13 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जो इस बैठक की सूचना की मद सं. 12 में उल्लिखित है।

इन प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ कंपनी के संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों की प्रति कंपनी के सदस्यों के निरीक्षणार्थ बैठक की तारीख तक, सभी कार्य दिवसों में सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

कंपनी के कोई भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 12 में उल्लिखित संकल्पों में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इन संकल्पों को सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
16 अगस्त 2018

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

or otherwise, in the resolution set out at item no. 11 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

In respect of item No. 12 :

As a contributor to 'Make in India' initiative, the Company proposes to subsidise fund, give grant(s) to Defence Innovation Organisation, startups etc. The current object in the Memorandum of Association (MoA) does not permit the company to undertake such activities.

To enable the Company to commence the aforesaid object, it is proposed to amend object no. 13 in Clause III of the Memorandum of Association of the Company, as stated in resolution no. 12 of the Notice of this meeting.

A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company together with the proposed alterations is available for inspection by the Members of the Company at its Registered Office during normal business hours on all working days upto the date of the Meeting.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 12 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the members.

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
16 August 2018

S Sreenivas
Company Secretary

एजीएम स्थल के लिए बीएमटीसी बस

केम्पेगौड़ा बस स्टॉप से -

284 सीरीज़, 286 सीरीज़, 287 सीरीज़, 288 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

शिवाजीनगर बस डिपो से -

63 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From Kempegowda Bus Stop :

284 series, 286 series, 287 series, 288 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

From Shivajinagar Bus Depot

63 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

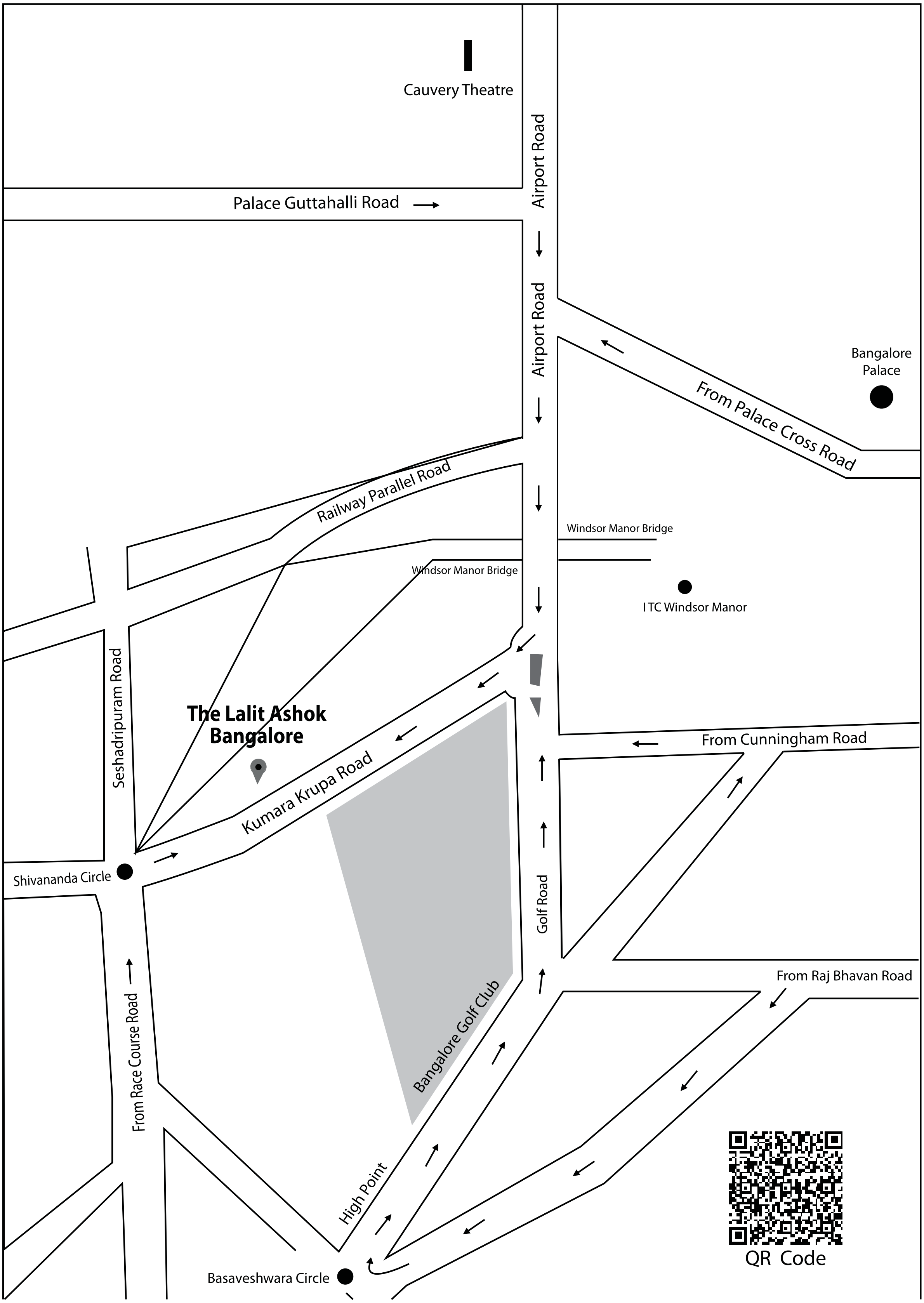
Cauvery Theatre
Palace Guttahalli Road
Airport Road
Airport Road
Bangalore Palace
From Palace Cross Road
Railway Parallel Road
Windsor Manor Bridge
Windsor Manor Bridge
I TC Windsor Manor
Seshadripuram Road
The Lalit Ashok Bangalore
Kumara Krupa Road
From Cunningham Road
Shivananda Circle
Golf Road
From Raj Bhavan Road
From Race Course Road
Bangalore Golf Club
High Point
Basaveshwara Circle
QR Code